(वाद सं0–166/4/23/2019)

20.10.2021

परिवादी, नेहा कुमारी, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के बेहनोई, जिनकी अपोलो न्यू बर्न हॉस्पीटल, कुम्हरार, पटना में आग से जल जाने के कारण चिकित्सा के दौरान मृत्यु हुई थी, का उक्त अस्पताल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अपर पुलिस अधीक्षक, पटना सिटी के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के बेहनोई, राजू कुमार को जख्मी हालत में परिजनों द्वारा अपोलो न्यू बर्न हॉस्पीटल, कुम्हरार, पटना में भर्ती कराया गया था जिसके ईलाज के दरम्यान दिनांक–27.05.2017 को उनकी मृत्यु हो गयी। मृतक का पोस्टमार्टम नालंदा, मेडिकल कॉलेज, पटना में अगमकुआँ थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कराया गया। तदोपरान्त मृतक के परिजन का फर्दब्यान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट आदि की कार्बन कॉपी डाक द्वारा सरैया थाना को भेज दिया गया।

आज राज्य अयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि उसे उसके बहनोई के चिकित्सा करने वाले अस्पताल के द्वारा उसके बहनोई का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

अब, जबकि परिवादी के शिकायत के आलोक में संबंधित अस्पताल द्वारा परिवादी के बहनोई का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अब कोई अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक